

07⁰⁴
21

पत्रावली पेश हुई। कमील बादी व फादी
अनुपस्थित। बार-बार रुक-रुक कर आवाज
लगावायी। धूमिल। लेकिन कोई भी उपस्थित
नही था।

रक्त: द्वारा वादीवग अफम हाजिरी व
अफम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फिलम इंगार हाकर वेम्बर ली
कक ही निर्णय में द्वारा सिखाया जाकर
फुल न्यायालय में सुनपाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)